5/11/24 पत्रावली पेश। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर।
पूर्व पेशी पर बहस मूल प्रार्थना-पत्र पर सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) को स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

6/11/24 प्रार्थी द्वारा जरिये अधि. आवेदन 152 सीपीसी का प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी द्वारा आवेदन इस आशय का पेश किया गया है कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 5/11/24 के पेज सं. 3 की 16 की लाईन में ख.नं. 128 के स्थान पर केवल ख.नं. 28 अंकित कर दिया गया है व पेज संख्या 4 की 17वी लाईन में ख.नं. 133 के स्थान पर भूलवश ख.नं. 128 अंकित कर दिया गया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इसके अनुसार प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर दुरुस्ती की जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थी के आवेदन का अध्ययन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि लिपिकीय त्रुटि से पेज नं. 3 की 16वी लाईन में ख.नं. 128 के स्थान पर ख.नं. 281 लिखा गया है [illegible]

... दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं पत्रावली ...
प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा ...
को स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा
जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय
आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

6/11/24 प्रार्थी द्वारा धारा अधि. आवेदन 152 पेश किया
प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी
द्वारा आवेदन इस आशय का पेश किया गया है कि
न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 5/11/24 के पेज सं. 3 की
16 की लाईन में ख.नं. 128 के स्थान पर केवल ख.नं.
28 अंकित कर दिया गया है व पेज संख्या 4 की 17 की
लाईन में ख.नं. 133 के स्थान पर भूलवश ख.नं. 128
अंकित कर दिया गया है। अतः निवेदन है कि
इन्द्राजानुसार प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर
दुरुस्ती की जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थी के आवेदन का अध्ययन किया गया व
पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर
पाया गया कि लिपिकीय त्रुटि से पेज सं. 3 की 16 की लाईन में
ख.नं. 128 के स्थान पर ख.नं. 28 लिखा गया है व पेज सं. 4 की
17 की लाईन में ख.नं. 133 के स्थान पर ख.नं. 128 लिखा गया है।
अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाता है तथा
न्यायालय हाजा के ~~...~~ आदेश दिनांक 5/11/24 में पेज सं. 3 की
16 की लाईन में ख.नं. 28 के स्थान पर ख.नं. 128 करने की दुरुस्ती
तथा पेज सं. 4 की 17 की लाईन में ख.नं. 128 के स्थान पर 133 करने
की दुरुस्ती प्रदान की जाती है। आदेश दिनांक 5/11/24 की पूर्ववर्ती
प्रतिलिपियां को रद्द किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर